प्रेषक,
महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,
समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: प00क–13/सं0निनग0/यूएचएनडी/दिशा–निर्देश/129/2016–17/5873 दिन, के 22 सितंबर, 2016
विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य गंभीर पोषण दिवस हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महादेव,

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 558 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें स्टेट बजट से संचालित 147 सरकारी शहरी स्वास्थ्य इकाइयों तथा एन000एम0 एम0 के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 231 अर्थन हेल्थ पोस्ट को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित किया गया है एवं 180 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वायत्त किये गये हैं। स्टेट बजट से संचालित 147 सरकारी नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों में नियमित एन0न0एम0 तैनात है, जिसकी गम एनालिसिस करते हुये प्रयोक्ता 10000 की शहरी जनसंख्या पर 01 एन0एम0 की संविदा पर तैनाती की स्वीकृत प्रदान की गयी है। इस प्रकार 2898 संविदा ए.एन.एम. तथा 147 नियमित ए.एन.एम. की स्वीकृति प्राप्त है।

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ090 के लिए संविदा एस.पी.एम.यू/एन.पूर्व एम/वी.एस.एम/यूवूएचएनडी/2016–17/53/5389–4 दिनांक: 16.09.2016 द्वारा अनुमोदन दिया गया है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की इकाई 2016–17 की आर0पी00 के अनुसार प्रेषित ए.एन.एम. द्वारा अपने क्षेत्र में यू.एन.ए.डी. आयोजित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश आपको उपलब्ध कराये जाने की अनुमति की गयी है।

अतः शहरी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के संबंध में दिशा–निर्देश संलग्न कर आपको इस आवेदन के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि दिशा–निर्देश में निहित प्रायोगिकीय के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा प्रेषित माह की प्रगति रिपोर्ट एस0पी00एम0 तारीख का कार्यायव के अधूरताशीर्षक कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

महानिदेशक
परिवार कल्याण
tादनांक:
प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: प0050-13/सं010नग0/यूएचएनवी/दिशा-निर्देश/129/2016-17/
दिनांक: 27 सितंबर, 2016
विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लीगु दिशा-निर्देश घोषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 558 नगरीय प्राधिकरण स्वास्थ्य केंद्र संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें स्टेट बजट से संचालित 147 सरकारी शहरी स्वास्थ्य इकाइयों तथा एननाम/एनएम के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 231 अरबन हेल्थ पोस्ट को नगरीय प्राधिकरण स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित किया गया है एवं 180 नये नगरीय प्राधिकरण स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गये हैं। स्टेट बजट से संचालित 147 सरकारी नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों में नियमित एननएम तैनात है, जिसकी शीर्ष एम्बुलेंस कर्मचारी है 1000 की शहरी जनसंख्या पर 01 एननएम की संविदा पर तेजस्क की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार 2998 संविदा एननएम. तथा 147 नियमित एननएम. की स्वीकृति प्राप्त है।

सरकार निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ090 के पत्र संस्करण, एननएमयू/एननएमयू/यूएचएनवी/2016-17/53/539-4 दिनांक: 16.09.2016 द्वारा अवसर कराया गया है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की वर्ष 2016-17 की आरोपीएनएम के अनुसार प्रयोजक एनएम. द्वारा अपने क्षेत्र में यूएचएनवी. आयोजित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश आपको उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अत: शहरी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के संबंध में दिशा-निर्देश संलग्न आपको इस आशय के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है कि दिशा-निर्देश में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यवस्था की सुनिश्चित करे तथा प्रयोजक माह की प्रगति रिपोर्ट एनएमएमयू कार्यालय एवं अधोस्ताक्षर कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नक: उपस्थितानुसार।

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,

पत्रांक: प0050-13/सं010नग0/यूएचएनवी/दिशा-निर्देश/129/2016-17/544-6 तदनांक:
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
1. प्रमुख संचाल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ090 शासन, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ090 लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, उ090 लखनऊ।
4. समाज मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, उन्नाव।
5. समाज जिला अधिकारी/आयुक्त, चिकित्सा स्वास्थ्य संघ, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबंधक, संरक्षक, एननएमयू/एननएमयू, एननएमएमयू, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ090 लखनऊ।
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 558 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। जिसमें सेट बजट से संचालित 147 सरकारी शहरी स्वास्थ्य इकाइयों तथा 1030 आरोहण इकाइयों के अन्तर्गत पूरे से संचालित 231 अस्पताल हेल्थ पोर्टल को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया गया है एवं 180 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं। सेट बजट से संचालित 147 सरकारी नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों में नियमित ए.एन.एम. तैनात हैं, जिसकी गैंग एनालिसिस करते हुये प्रत्येक 10000 की शहरी जनसंख्या पर 01 ए.एन.एम. की संवधियां पर नेतृत्व की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- प्रत्येक ए.एन.एम. द्वारा अपने आवृत्ति क्षेत्र में कम से कम 04 यू.एच.एच. द्वारा संचालित किये जाएंगे। यू.एच.एच. एवं भर्ती क्षेत्र के आयोजन हेतु शासनादेश - चिकित्सा अनुभाग-9, संख्या : 146/पा-9-2015-9(127)/12 निर्देश 28.01.2015 के माध्यम से वित्तपंचायत दिशा निर्देश एवं निर्देशिका समस्त जनप्रियों को प्रस्तुत किया गया है।

ए.एन.एम. के कार्य एवं दायित्व

- प्रत्येक ए.एन.एम. द्वारा आवृत्ति केन्द्र का सर्व 15 दिवसों में पूर्ण कर लिया जाये। इस हेतु ए.एन.एम. द्वारा समर्थन घरों पर भ्रमण किया जाये तथा निर्धारित प्रारूप पर सुविधाएं संचालित की जाय।

- शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (यू.एच.एच.डी.) - शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन में गृहवाटपरक संवाद पर उपलब्ध कराने हेतु निम्न विन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है—

<table>
<thead>
<tr>
<th>दिवस</th>
<th>ए.एन.एम.-1</th>
<th>ए.एन.एम.-2</th>
<th>ए.एन.एम.-3</th>
<th>ए.एन.एम.-4</th>
<th>ए.एन.एम.-5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>प्रथम बुधवार</td>
<td>केन्द्र में</td>
<td>केन्द्र में</td>
<td>यू.पी.एच.सी. पर</td>
<td>यू.पी.एच.सी. पर</td>
<td>यू.पी.एच.सी. पर</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रथम शनिवार</td>
<td>यू.पी.एच.सी. पर</td>
<td>यू.पी.एच.सी. पर</td>
<td>केन्द्र में</td>
<td>केन्द्र में</td>
<td>केन्द्र में</td>
</tr>
<tr>
<td>हिन्दी बुधवार</td>
<td>गू.पी.एच.सी. पर</td>
<td>गू.पी.एच.सी. पर</td>
<td>गू.पी.एच.सी. पर</td>
<td>क्षेत्र में</td>
<td>क्षेत्र में</td>
</tr>
<tr>
<td>हिन्दी शनिवार</td>
<td>क्षेत्र में</td>
<td>क्षेत्र में</td>
<td>क्षेत्र में</td>
<td>गू.पी.एच.सी. पर</td>
<td>गू.पी.एच.सी. पर</td>
</tr>
<tr>
<td>तुल्की बुधवार</td>
<td>क्षेत्र में</td>
<td>क्षेत्र में</td>
<td>क्षेत्र में</td>
<td>गू.पी.एच.सी. पर</td>
<td>गू.पी.एच.सी. पर</td>
</tr>
<tr>
<td>तुल्की शनिवार</td>
<td>गू.पी.एच.सी. पर</td>
<td>गू.पी.एच.सी. पर</td>
<td>क्षेत्र में</td>
<td>क्षेत्र में</td>
<td>क्षेत्र में</td>
</tr>
<tr>
<td>बुधवार शनिवार</td>
<td>गू.पी.एच.सी. पर</td>
<td>गू.पी.एच.सी. पर</td>
<td>क्षेत्र में</td>
<td>क्षेत्र में</td>
<td>क्षेत्र में</td>
</tr>
<tr>
<td>पंचम बुधवार</td>
<td>क्षेत्र में</td>
<td>क्षेत्र में</td>
<td>क्षेत्र में</td>
<td>गू.पी.एच.सी. पर</td>
<td>गू.पी.एच.सी. पर</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| पंचम शनिवार | बुधवार एवं शनिवार को अपका या अन्य कारणों से छूटे हुए गू.एच.एन.डी. को सम्बन्धित पं.एन.एम. द्वारा पूर्ण किया जाय।

- क्षेत्र/गृह ब्रमण – प्रत्येक ए.एन.एम. रेस्टर्ट प्लान के अनुसार अपनी आँक के सहयोग से हाल एवं अपने क्षेत्र का ब्रमण कर लामार्शियों से भेज करगी तथा निम्न विन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाये–
  - यू.एच.एन.डी. पर प्रसव पूर्व jो करने वाली गर्भवती महिलाओं से भेज कर यदि उनकी गर्भावस्था का नवं महिना है तो संस्थागत प्रसव हेतु प्रेषित करना।
  - प्रसव उपरान्त महिलाओं का चेकअप।
  - टीकाकरण से वैचित्र शिशुओं की पहचान कर अगले टीकाकरण सत्र में टीके लगवाना सुनिश्चित करना।
  - बीमार नवजात शिशु, कम वजन के बच्चों को सन्दर्भित करना।
  - पात्र प्रभावितों को परिवार नियोजन के साधन अपनाने हेतु प्रेषित करना।
  - गर्भवती रोगों के बीमारों के देखभाल एवं उन्हें उच्चतर इकाईयों पर सन्दर्भित करना।
  - समुदाय में बुखार के रोगियों की जांच एवं उपचार तथा उच्च इकाईयों पर सन्दर्भित करना।
  - समुदाय को मच्छरियाँ का उपयोग, घरों में कीटनाशक दवाओं के छोडकाव हेतु प्रेषित करना।
  - मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु के मामलों में प्राथमिक पूछ–ताछ एवं रिपोर्ट करना।
  - नैसारिकता, श्रवणीकरण मानसिक बीमारी, कुच्च, टी.बी. एवं विकल्पात्मक के सभी मरीजों को चिह्नित करना तथा उपचार हेतु स्वास्थ्य इकाई पर सन्दर्भित करना।

- समुदाय–स्वास्थ्य शिक्षा महत्त्व – गृह ब्रमण तथा यू.एच.एन.डी. के दौरान एन.एम. के द्वारा समुदाय को निम्न विन्दुओं पर स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी दी जायेगी–
  - गर्भावस्था के दौरान खतरे के लक्षण
  - संस्थागत प्रसव का महत्त्व
  - प्रसववपरापत देख–भाल का महत्त्व
  - पोषण आहार
  - ०६ माह तक केंद्रल स्तनपान

[Signature]
06 माह बाद स्तनपान के साथ पूरक आहार
निर्जलीकरण के लक्षण का विशीर्षण
डायरिया के दौरान देहभाल, जिंक गोली एवं औ.आर.एस. घोल का उपयोग
गर्मी में सरसन, संक्रमण के दौरान देहभाल
gलेमिया, टी.बी., कृष्‍ि एवं अन्य संक्रामक बीमारियों, स्थानीय महामारी आउट ब्रेक
रोगों की रोकथाम
एस.टी.आई., एच.आई.वी., एड्स की रोकथाम
स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता एवं हाइजीन के महत्व

**रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड का रख-रखाव**
उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त प्रतिदिन 01 घण्टा रजिस्टर में प्रविष्ठि, एच.एम.आई.एस. एवं एम.सी.टी.एस. डेटा का संकलन कर रिपोर्ट तैयार करना।
आर.सी.ए., टीकाकरण, परीक्षण कल्याण रजिस्टर इत्यादि का रख-रखाव।
लामारियों के मातृ एवं बाल सुधार कार्य का रख-रखाव।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक</th>
<th>कार्य का विवरण</th>
<th>दिवस</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बेडक</td>
<td>सामवार</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>फिल्ड विजिट, आशा के साथ बेडक, महिला आरोग्य समिति की बेडक</td>
<td>मंगलवार</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस</td>
<td>बुधवार</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>क्लीनिक दिवस</td>
<td>बृहस्पतिवार</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>फिल्ड विजिट, आशा के साथ बेडक, महिला आरोग्य समिति की बेडक</td>
<td>शुक्रवार</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस</td>
<td>शनिवार</td>
</tr>
</tbody>
</table>

• **ए.एन.एम. किट—**
  सामान्य ऑष्टिियों एवं प्रदाय सामग्री— नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान किए गए ए.एन. एम. को निम्न ऑष्टिियों प्रदान करायी जायेगी—
  • आयुर्वेद एवं फॉलिक एडिड गोलियां एवं सिरप
  • औ.आर.एस. पैकेट
  • जित्क की गोली
  • प्रेशियॉमॉल गोली एवं सिरप
  • अल्बेडोज़ोल
  • एमोजीसीसिलिन सिरप
  • जेटामाइसिन इंजेक्शन
  • रूई
  • गर्भ निरोधक गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां एवं कण्ढोम
  एम.सी.पी.कार्ड
  वृद्धि चार्ट

[Signature]
• बैनर एवं आई.ई.सी. सामग्री
• वजन मशीन (व्यस्तक एवं बच्चों के लिये अलग अलग)
• बी.पी. उपकरण
• रेडियोकॉप
• धर्मांकीतर
• हामोग्लोबिन मीटर साथ में N/10 घोल या हामोग्लोबिन स्ट्रिप डिस्पोजेबल
  लैन्सेट के साथ
• यूपीटिक्स
• मूत्र एकत्रित करने के लिये कप
• निषिद्ध फ़ैक्ट
• डिस्पोजेबल दस्ताने
• लाल एवं काली पौसलोगिन बैग (यू.एच.एन.डी. दिवस पर)
• वेक्सीन कैंपियर, चार आइस फॅक के साथ (यू.एच.एन.डी. दिवस पर)
• हब काटर (यू.एच.एन.डी. दिवस पर)

• आपात एवं कर्मयुद्ध में की व्यवस्था नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर से की जायेगी तथा अन्य
  उपकरण एवं प्रदाय सामग्री की व्यवस्था नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से करायी जायेगी। विभिन्न
  कार्यक्रमों के अन्तर्गत खरीद लेंगे उपकरण एवं सामग्री को पुनः न खरीदा जाय तथा सभी वित्तीय
  नियमों का ध्यान में रखा जायेगा।

• अनुश्रवन— प्रभारी चिकित्साविधाकारी, अरबन हेल्थ कोआटिंग, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम.,
  मण्डलीय अरबन हेल्थ केन्द्रलेन्ट एवं अन्य के द्वारा जनपदों में उपलब्ध प्रशासन पर प्रतिदिन
  यू.एच.एन.डी. दिवस पर कम से कम 03 यू.एच.एन.डी. का अनुश्रवण किया जायेगा।

• रिकार्ड कोपिंग एवं रिपोर्टिंग — प्रतिदिन यू.एच.एन.डी. के आयोजन के उपस्थान ए.एन.एम. के द्वारा
  निर्धारित प्रशिक्षण पर रिपोर्टिंग की जायेगी एवं अपने रिकार्ड में भी दर्ज किया जायेगा।

• प्रभारी चिकित्साविधाकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि सभी यू.एच.एन.डी. की संकल्पित
  मानक रिपोर्ट को ए.एन.आई.एस. रिपोर्ट में अंकित कर दिया जाय।

• वित्तीय व्यवस्था— यू.एच.एन.डी. के आयोजन हेतु रु. 250/- प्रति यू.एच.एन.डी. की दर से
  धनराशि आवश्यक है। इस धनराशि का उपयोग ए.एन.एम. द्वारा यू.एच.एन.डी. के आयोजन
  हेतु व्यवस्था जैसे— लाभार्थियों के बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था,
  प्रवार प्रसार एवं अन्य में किया जायेगा। ए.एन.एम. द्वारा यू.एच.एन.डी. के आयोजनान्वयन बिल
  प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तुत बिल को प्रभारी चिकित्साविधाकारी से प्रमाणित करने पर धनराशि उसके
  खाते में खातान्तरित कर दी जायेगी।